



कार्यालय आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
Office of the Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmedabad.
प्रथम तल, रूम नं. 111-112, एनेक्सी, आयकर भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 009
1st Floor, Room No. 111-112, Annexy, Aaykar Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad 380009
(Tele & Fax: 079-27540915)

फा.सं.आ.आयु (छू.)/अहम/80जी(5)/712/EFT/2017-18

ता: 18.05.2018

पैन/PAN : AAATE6271D

ट्रस्ट/कम्पनी का नाम/ Name of the :- EDUFUN FOUNDATION TRUST
Trust/ Company B/h Madhusudan Plaza,
Navgrah Soceity,
Dhanera
Banaskantha.

धारा 80G के अन्तर्गत स्वीकृति/पुनर्नवीकरण के लिए आवेदन -
Sub: Application for grant of Approval/renewal u/s. 80G (5) of I.T.Act, 1961 -

उपर्युक्त न्यास/संस्थान/ कम्पनी के ता 29.11.2017 के फार्म नं 10 जी में किए गए आवेदन के संदर्भ में, यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त न्यास/संस्थान/ कम्पनी को किए गए दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी (5) के तहत, उसमें दी गई सीमा के अंदर कटौती योग्य हैं।

With reference to application in form No.10G made by the aforesaid trust/institution/Company on 29.11.2017 it is certified that donations made to the trust/institution/Company shall qualify for deduction u/s.80G (5) of the Income-tax Act, 1961, subject to the limits prescribed therein

2. उपर्युक्त छूट ता 29.11.2017 से मान्य है। जबतक कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किसी पूर्व तारीख से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रद्द नहीं किया जाता।

This exemption is valid with effect from 29.11.2017 onwards (i.e. F.Y. 2017-18 & A.Y. 2018-19) unless cancelled by the undersigned on any prior date subject to the following conditions:-

(i) रसीदे बॉन्ड बूक प्रारूप में रखी जानी चाहिए तथा दाताओं को जारी की गई रसीदों में इस प्रमाणपत्र के उपर्युक्त नंबर और तारीख तथा वह अवधि जिसके लिए यह मान्य है, का उल्लेख करें।

Receipts to be issued should be maintained in Bond Books. Receipts issued to the donors should bear the number and date of this certificate and indicate the period for which this certificate is valid.

(ii) उपर्युक्त न्यासी को आयकर अधिनियम 1961, की धारा 2(15), 11, 12, 13 एवं 80 जी की प्रावधानों का पालन करते रहना चाहिए।

The aforesaid entity should continue to fulfill the requirements of section 2(15), 11, 12, 13 and 80G of the I T Act, 1961.

(iii) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139(4A)/(4C)/(4D) के तहत आडिट रिपोर्ट के साथ, जहाँ लागू हो, सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी को नियत तारीख तक आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं बैलेन्स-शीट के साथ आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी।

The Statement of Income & Expenditure Account and Balance Sheet are furnished to the concerned Assessing Officer by the due date of furnishing of return of income under section 139(4A)/(4C)/(4D) of the I T Act, 1961 every year along with the audit report, wherever applicable



(2)
EDUFUN FOUNDATION TRUST

- (iv) अगर विलेख/एसोसिएशन/जापन/निधि/संस्थान/न्यास/ कम्पनी के नीति नियमों में जब भी कोई संशोधन हो तो सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाए
Amendments if any made to the deed of statement/memorandum of Association/Rules Regulations of the Fund/Institution/Trust /Company are intimated to the concerned Assessing Officer, immediately whenever made.
- (v) आवेदक ने संकल्प और शपथ पत्र विघटन खंड की एक प्रति दायर की है ।
The applicant has filed a copy of resolution and affidavit regarding dissolution clause.
अतः यह प्रमाण-पत्र निम्न शर्त के आधार पर जारी किया जाता है ।
Therefore, this Certificate is issued subject to following condition:
न्यास/संस्थान/कम्पनी अपरिवर्तनीय होना चाहिए । हालांकि, कुछ कारणों से न्यास/ संस्थान/कम्पनी भंगीय है, उस स्थिति में सम्पत्ति किसी भी संस्थापक, मध्यस्थ, न्यासी, दाता अथवा सदस्य आदि को देय नहीं होगी किन्तु सम्पत्ति से सम्बन्धित दायित्व किसी अन्य न्यास/संस्थान/कम्पनी को स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन गुजरात जन न्यास अधिनियम/ कम्पनी अधिनियम उच्च न्यायालय के प्रावधान अनुसार I वह अन्य न्यास/ संस्थान/कम्पनी उसी तरह की क्रियाविधि में संलग्न होना चाहिए जैसा कि यह न्यास/संस्थान/कम्पनी ।
The Trust/Institution/Company should be irrevocable. However, for some reason trust is to be dissolved then no property would go to any founder, settler, trustee or donor, member etc but the properties after meeting liabilities would go to some other trust carrying on similar activity. The transfer of properties, if any, should be as per the provisions of Gujarat Public Trust Act / Companies Act/ High Court., with the permission of Charity Commissioner/.
- (vi) आवेदक विद्या शुल्क, एडमिशन शुल्क तथा किसी अन्य प्रकार के शुल्क के रूप में प्राप्त हुई राशी के एवज में रसीदे जारी नहीं करेगा ।
The applicant will not issue donation receipt in lieu of education fee, admission / capitation fee or any other kind of fees received by the trust.
- (vii) This certificate is issued vide registration no.

AAATE6271D/712/17-18/T-1532/80G(5)/ Dated 18.05.2018.

sd/-

(D.P.GUPTA)

आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
Commissioner of Income Tax (Exemptions),
Ahmedabad

प्रतिलिपि/Copy to :

- (i) The Applicant Trust
(ii) The Addl. CIT(Exemptions), Range-1, Ahmedabad.
(iii) The Addl. CIT(Exemptions), Range-2, Ahmedabad
(iv) The Guard File.



(Signature)
18/05/2018

(BHARAT G PATEL)

सहायक आयकर आयुक्त (मुख्यालय)(छूट),
Asstt. Commissioner of Income-Tax(HQ)(E)
कृते आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
For Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmedabad